171

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 729—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—03—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 160/2005—06/अपील

.....

जगदीश पुत्र नरोत्तम गुर्जर,
निवासी ग्राम फतेहपुर, तहसील—श्योपुर
जिला—श्योपुर (म0प्र0) ..... आवेदक

विरूद्ध

1— मुस. नूरजहां पुत्री सोडू,
निवासी—श्योपुर (म0प्र0)
.....अनावेदिका

2— प्रताप पुत्र छीतर
3— नाथ्या पुत्र मोडू
समस्त निवासीगण— ग्राम मयापुरा परगना व
जिला—श्योपुर(म0प्र0) ..... तरतीवी अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ए0के0 अग्रवाल एवं श्री एस0एम0 भान, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

आदेश

(आज दिनांक 18-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—03—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक एवं तरतीवी अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय के पृथक—पृथक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किये कि वे ग्राम मयापुर की भू—दान भूमि सर्वे क्र0 231/8 रकबा 15 बीघा पर विगत 30 वर्षों से काबिज चले आ रहे है, किन्तु मौके की स्थिति के विपरीत राजस्व कागजात में असल अनावेदिका नूरजहां का नाम

दर्ज चला आ रहा है। उसके द्वारा भू–दान अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया है। अतः विवादित भूमि का नूरजहां के नाम पट्टा निरस्त कर आवेदक एवं तरतीवी अनावेदकगण के नाम प्रदान किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर ने आवेदक एवं तरतीवी अनावेदकगण से प्राप्त आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में मूलतः भेजकर आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तहसीलदार श्योपुर द्वारा क्रमशः प्र0क्र0 10/93–94/अ–86, 11/1993–94/अ–86 एवं प्र0क्र0 12/93–94/अ–86 दर्ज किये गये और तीनों प्रकरणों में एक ही अनावेदिका होने के कारण तीनों ही प्रकरणों का एक साथ जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.10.94 को अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर की ओर अग्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर ने अपने प्र0क्र0 1/94–95/अ–86 में दिनांक 14.10.99 अनावेदिका का पट्टा निरस्त कर विवादित भूमि शासन को वेष्ठित करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील न्यायालय अपर कलेक्टर, श्योपुर के समक्ष पेश की गई जो प्र0क्र0 11/2000–01/अपील पर दर्ज किया जाकर दिनांक 13.09.2001 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर का आलोच्य आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने की दशा में निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें विधिवत प्र0क्र0 160/2005–06/अपील पंजीबद्ध किया गया तथा पारित आदेश दिनांक 30.03.2007 द्वारा द्वितीय अपील निरस्त की गई । जिससे दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ अपर आयुक्त के न्यायालय में आवेदक ने यह निवेदन किया था कि प्रकरण जब अधीनस्थ कलेक्टर के यहां अपील के रूप में लम्बित था तो वह प्रकरण कार्यविभाजन के दौरान अपर कलेक्टर श्योपुर के न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त हुआ था, तब अधीनस्थ अपर कलेक्टर का यह कर्तव्य था कि वह पक्षकारों को पुनः तामील कर आहूत कर्ता इस बावत आदेश पत्रिकाओं में आदेश उल्लेखित भी हुआ है, किन्तु आवेदक व तरतीवी अनावेदकगण को कोई तामील नहीं मिली है और अधीनस्थ अपर कलेक्टर ने बिना सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित किया है। किन्तु अधीनस्थ अपर आयुक्त ने आवेदक के इस निवेदन का कोई विषलेशण आलोच्य आदेश में नहीं किया है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त कर दिया है। अपर आयुक्त के न्यायालय में आवेदक द्वारा यह भी निवेदन किया गया था कि

अधीनस्थ अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने का आधार यह बनाया है कि मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 49–5789–7–27–92 दिनांक 02.01.92 द्वारा मध्यप्रदेश भू–दान यज्ञ निरसन अधिनियम की धारा 2(अ) के अंतर्गत 2 जनवरी 1997 नियत तिथि घोषित की गई है तथा उक्त तिथि 2 जनवरी 1997 के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी को भूदान यज्ञ अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत सुनवाई का अधिकार शेष नहीं रह जाता है। भूदान यज्ञ अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत जो अधिकार केवल कलेक्टर को प्राप्त हुये थे उनका प्रत्यायोजन ही कलेक्टर मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी, न्यायालय ने पुनः जांच व सुनवाई कर पट्टा निरस्ती के आदेश दिये थे। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को 2 जनवरी 1997 से पूर्व से प्रचलित प्रकरणों को सुनवाई कर निर्णित करने से नहीं रोका गया था। इस बावत अधीनस्थ न्यायालय को आवेदक द्वारा निवेदन किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बावत भी अपने आलोच्य निर्णय में कोई विष्लेशण नहीं किया और न ही अपर कलेक्टर ने इस बावत कोई विषलेशण किया है। अधीनस्थ न्यायालयों में आवेदक ने यह निवेदन किया था कि अनावेदिका के पिता का नाम सोढू है। इस कारण इलाईवक्श के स्थान पर अनावेदिका का वारिस की हैसियत से नामांतरण संभव नहीं है। इलाईवक्श अनावेदिका का क्या लगता है। यह भी स्पष्ट नहीं है, इस कारण भी अनावेदिका का हुआ नामांतरण प्रथम दृष्टि में ही शून्य है, किन्तु अधीनस्थ अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने इस बावत कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा की गई सम्पूर्ण जांच–पढ़ताल जो वर्ष 1992 लगायत वर्ष 1999 तक की गई और अनावेदिका का नाम जो पटवारी अभिलेख में भूदान भूमिस्वामी के रूप में इन्द्राज है को निरस्त किये जाने हेतु कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई। मात्र एक तकनीकी बिन्दू 2 जनवरी 1997 को आधार बनाकर आलोच्य आदेश पारित कर दिये गये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। किन्तु अधीनस्थ अपर आयुक्त ने आवेदक के इस निवेदन को भी गौर नहीं और न ही अपने आलौच्य आदेश में इस बावत कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है । इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक एवं तरतीवी अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष इस आशय के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये कि असल अनावेदिका नूरजहां का नाम राजस्व कागजात में गलत रूप से इन्द्राज चला आ रहा है, जबकि ग्राम मयापुर की वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 231/8 रकबा 15 बीघा पर आवेदक एवं तरतीवी अनावेदकगण का मौके पर कब्जा है और वे ही उस पर काश्त करते चले आ रहे है। अतः भू–दान यज्ञ अधिनियम की धारा 31 का उल्लंघंन होने के कारण अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत मूल अनावेदिका का पट्टा निरस्त किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर ने तहसीलदार, श्योपुर से आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कराई । तहसीलदार, श्योपुर ने दिनांक 11.10.91 को जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष पेश किया । अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर ने अपने प्र0क्र0 1/94–95/अ–86 में पारित आदेश दिनांक 14.10.99 अनावेदिका का पट्टा निरस्त करते हुये विवादित भूमि शासन में वैष्ठित कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, श्योपुर के समक्ष अपील किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर का आलोच्य आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया आदेश निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि 2 जनवरी 1997 के पश्चात भू–दान यज्ञ अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत जो अधिकार कलेक्टर को प्राप्त थे, कलेक्टर, जिला–मुरैना ने उनका प्रत्यायोजन ही अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया और अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर ने वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में ही आलोच्य आदेश दिनांक 14.10.99 द्वारा पट्टा पुनः निरस्त करते हुये वादग्रस्त भूमि भूमि शासन में वैष्ठित कर दी थी। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है। जिसके विरूद्ध में अनावेदिका ने अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अपील किये जाने पर अपर कलेक्टर, श्योपुर ने अपने प्र0क्र0 11/2000–01/अपील में दिनांक 13.09.2001 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के आलोच्य आदेश को निरस्त कर दिया किन्तु आदेश में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 231/8 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 231/6 में टायपिंग त्रुटि हो जाने पर अनावेदिका नूरजहां ने कलेक्टर, श्योपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2002 को प्रस्तुत किया गया। जब उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो अनावेदिका द्वारा दिनांक 31.05.2005 को एक

और आवेदन पत्र कलेक्टर, श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा दिनांक 13.09.2001 को पारित आदेश में टंकण त्रुटि में सुधार किया जावे तथा खसरा पंचशाला की नकल लेने पर अनावेदिका को ज्ञात हुआ है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 231/8 रकबा 15 बीघा पर तहसीलदार श्योपुर के प्र0क्र0 11/2003–04/अ–86 के आदेश दिनांक 27.07.2004 से आवेदकगण को पट्टा प्रदान किया जा चुका है, वह भी निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला–श्योपुर ने अपने प्र0क्र0 38/2005–06/बी–121 में अपर कलेक्टर, जिला–श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2001 में हुई टायपिंग त्रुटि में सुधार कर सर्वे क्रमांक 231/6 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 231/8 पढ़े जाने का आदेश पारित किये जाने में को विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इसी आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने विस्तृत आदेश में अपर कलेक्टर, श्योपुर के इस आदेश को यथावत रखा है। चूँकि 2 जनवरी 1997 के पश्चात उपखण्ड अधिकारी को मध्यप्रदेश भू–दान यज्ञ अधिनियम 1968 की धारा 31 के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई का अधिकार नहीं है। ऐसे में अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर आदेश किया है जिसे स्थिर नहीं रखा जाता सकता। मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा निकाले गये इस निष्कर्ष से सहमत हूँ । मुझे अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2007 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं दिखती।

6/ अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2007 विधिसंगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर